

फार्म 'डी'

मृत्यु जानकारी सं.

ई-फार्म प्रचालन पंजीकरण संख्या:

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट

वित्त विभाग

दिनांक

पेंशन प्रकरण संख्या .----- सी/ए

पेंशन रोल सं. -----

विषय: स्वर्गीय/श्री/श्रीमती ..... के संबंध में पारिवारिक पेंशन का आवेदन

पदनाम ----- की

धारा -----

विभाग -----

कोड संख्या.----- आइटम संख्या .-----

पीएफ खाता संख्या .-----

महोदय/महोदया,

मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम, 1988 आवेदन के संदर्भ में पारिवारिक पेंशन स्वर्गीय श्री/श्रीमती .....की विधवा/विधुर या सबसे बड़ी योग्य संतान को स्वीकार्य है।

परिवार पेंशन के लिए आपका दावा निर्धारित पारिवारिक पेंशन आवेदन प्रपत्र (ई-फॉर्म) जिसकी प्रति इस उद्देश्य के लिए संलग्न है जमा किया जाना चाहिए। बैंक विकल्प फार्म की दो रिक्त प्रतियां और जीवन प्रमाणन के लिए रिक्त फॉर्म, गैर विवाह/पुनर्विवाह प्रमाण पत्र और गैर रोजगार प्रमाण पत्र, प्रत्येक की एक प्रतिलिपि जो आवश्यक प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए संलग्न कर रहे हैं जो आवश्यक हैं।

पारिवारिक पेंशन मृत्यु या पुनर्विवाह जो भी पहले हो या बच्चे के 25 साल तक होने या रोजगार प्राप्त होने तक देय होगा। मृत्यु या पुनर्विवाह परिवार पेंशन बच्चे या बच्चों, यदि कोई है, अभिभावक के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

भवदीय,

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोलकाता

..... 200

सलंगन: ई-फार्म, बैंक विकल्प फार्म, जीवन प्रमाण पत्र प्रारूप और ग्रीन कार्ड (2)